

दिनांक 16.08.2023

पत्रावली प्रस्तुत हुई। परिवादी अनुपस्थित। परिवादी की ओर से कोई विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं है।

पत्रावली परिवादी साक्ष्य हेतु नियत है। परिवादी अनुपस्थित। न्यायहित में अवसर दिया जाता है। पीठासीन अधिकारी चिकित्सा अवकाश पर हैं। न्यायहित में तिथि मुलतवी की जाती है।

पत्रावली परिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक 28.08.2023 को पेश हो।

(प्रभारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
चमोली।